प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रकिया संहिता) बुक नं0

1.जिला **ओपी एसीबी सीकर**, थाना **प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्रनिब्यूरो जयपुर** वर्ष **2022**................
प्र0सू0रि0 सं. ....439/2022......... दिनांक ....14/11/2022.........

2.(i) अधिनियम........... **भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018** धारायें .... **7** ....
(ii) अधिनियम.. धारायें..
(iii) अधिनियम.. धारायें..
(iv) अन्य अधिनियम एवं धारायें ....

3.(क) रोजनामचा आम रपट संख्या...........238........... समय ....5:30 pm.........
(ख) अपराध घटने का दिन बुधवार दिनांक :– 09.02.2022 समय ....
(ग) थाना पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– .... समय ....

4. सूचना की किस्म :– लिखित/मौखिक :– लिखित

5. घटनास्थल :– नगरपालिका लाडनू जिला नागौर। ....
(अ) पुलिस थाना से दिशा व दूरी :– **पश्चित दिशा 80 किलोमीटर** ....
(ब) पता :– नगरपालिका लाडनू जिला नागौर। ....
(स) यदि इस पुलिस थाना से बाहरी सीमा का है तो ....
पुलिस थाना .... जिला ....

6. परिवादी/सूचनाकर्ता :–
(अ) नाम :– श्री बुधाराम ....
(ब) पिता/पति का नाम :– श्री रामरखाराम ....
(स) जन्म तिथि/वर्ष :– 62 वर्ष ....
(द) राष्ट्रीयता– .... **भारतीय** ....
(य) पासपोर्ट संख्या ....
जारी करने की तिथि .... जारी होने की जगह ....
(र) व्यवसाय :– ....
(ल) पता :– निवासी वार्ड नं. 13 गांव खोखरी तहसील लाडनू जिला नागौर।

7. ज्ञात/अज्ञात संदिग्ध अभियुक्तों का ब्यौरा सम्पूर्ण विशिष्टयों सहित :–
1. श्री मघराज डूडी पुत्र श्री नराणाराम, निवासी वार्ड नं. 01, गांव शीतसर पुलिस थाना रतनगढ जिला चूरू तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका लाडनू जिला नागौर।
2. श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री बलदेवराम निवासी ग्राम नन्दवाण पोस्ट केराप वाया कोलिया तहसील लाडनू जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक नगरपालिका लाडनू जिला नागौर।

8. परिवादी/सूचनाकर्ता द्वारा इतला देने में विलम्ब का कारण :–..
.... कोई देरी नहीं हुई ....

9. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति की विशिष्टियां (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये)
....

10. चुराई हुई/लिप्त सम्पत्ति का कुल मूल्य 1,00,000 + 1,00,000 कुल 2 लाख रूपये।......

11. पंचनामा/यू.डी. केस संख्या (अगर हो तो) ....

12. विषय वस्तु प्रथम इत्तिला रिपोर्ट (अगर अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगाये) :–

महोदय,

संक्षिप्त हालात इस प्रकार है कि दिनांक 08.02.2022 को समय 3.45 पीएम पर परिवादी बुद्धाराम ने अपने मोबाईल नम्बर 9460065099 से श्री जाकिर अख्तर तत्कालीन उप अधीक्षक पुलिस एसीबी सीकर को कॉल कर नगरपालिका लाडनू जिला नागौर के ईओ श्री मघराज डूडी ईओ एवं श्री नन्दकिशोर कनिष्ठ सहायक द्वारा अलग–अलग रिश्वत की मांग करने तथा उनको रिश्वत नहीं देकर उसे रंगे हाथों पकडवाने की कही, जिस पर श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी के चाहेनुसार दिनांक 09.02.2022 को समय 07.00 एएम पर कार्यालय के श्री रामनिवास कानि. को कार्यालय के दो अलग–अलग डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड सुपुर्द कर परिवादी के मोबाईल नम्बर बताये जाकर परिवादी से

सम्पर्क कर परिवादी को टेप चालू व बन्द करने की विधि समझाने तथा परिवादी से प्रार्थना पत्र प्राप्त कर रिश्वत की मांग का सत्यापन करवाने की हिदायत देकर रवाना लाडनू किया गया

दिनांक 09.02.2022 को ही श्री रामनिवास कानि. ने श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस के समक्ष परिवादी बुद्वाराम द्वारा श्री मघराज डूडी ईओ एवं श्री नन्दकिशोर कनिष्ठ सहायक नगरपालिका लाडनू दोनों के विरूद्व अलग–अलग प्रस्तुत दो प्रार्थना पत्र एवं दो अलग–अलग डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर बताया कि " कस्बा लाडनू में पहूँच मैने परिवादी से डीडवाना रोड पूलिया के पास सम्पर्क कर उससे दोनों प्रार्थना पत्र प्राप्त किया तथा परिवादी बुद्वाराम को टेप रिकार्डर चालू व बन्द की विधि समझाई गई। परिवादी ने अपने स्तर पर मालूमात कर आरोपी ईओ का पता किया तो उसका अपने घर पर होना ज्ञात हुआ, जिस पर हम दोनों ईओ के घर के पास पहूँचे जहाँ मैने परिवादी को टेप रिकार्डर सुपुर्द कर दिया तथा परिवादी के वापिस आने पर मैने परिवादी से टेप रिकार्डर प्राप्त कर लिया। उसके बाद परिवादी ने श्री नन्दकिशोर से नगरपालिका पहूँच बातचीत करने की कहने पर हम दोनों रवाना होकर नगरपालिका लाडनू के पास पहूँचे जहाँ मैने परिवादी को दूसरा टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड के सुपुर्द कर दिया तथा परिवादी के नगरपालिका से बाहर आने के पश्चात टेप रिकार्डर प्राप्त कर लिया।" रिश्वत मांग सत्यापन से अर्थात दोनों डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में परिवादी बुद्वाराम द्वारा टेप की गई वार्ता को के आधार पर उक्त दोनों लोकसेवकगण द्वारा एक–एक लाख रूपये अलग–अलग रिश्वत की मांग करने की पुष्टि हुई।

तत्पश्चात दिनांक 23.03.2022 को परिवादी बुद्वाराम ने निजी कार्य में व्यस्त होने के कारण परिवादी के चाहेनुसार आरोपीगण ईओ एवं कनिष्ठ सहायक नगरपालिका लाडनू के विरूद्व दिनांक 24.03.2022 को अग्रिम कार्यवाही हेतु कस्बा लाडनू के पास गांव बाकलिया स्थित अपनी सीसी ब्लॉक की कम्पनी पर पहूँचने की कही तथा परिवादी बुद्वाराम ने आरोपी श्री मघराज डूडी ईओ को स्वयं द्वारा एवं आरोपी श्री नन्दकिशोर को अपने पुत्र श्री प्रेमाराम द्वारा रिश्वत दिये जाने की कही है, ऐसी स्थिति में दो टीमों के द्वारा कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित किया जाकर श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री बुद्वाराम द्वारा आरोपी नन्दकिशोर के विरूद्व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, मय रिश्वत मांग सत्यापन का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड आदि स्वयं के पास रखा जाकर परिवादी श्री बुद्वाराम द्वारा आरोपी मघराज डूडी ईओ नगरपालिका लाडनू के विरूद्व प्रस्तुत प्रार्थना पत्र मय रनिंग नोट दिनांक 09.02.2022 एवं दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 09.02.2022, जिसमें परिवादी बुद्वाराम द्वारा आरोपी मघराज डूडी ईओ से की गई वार्ता का डिजिटल टेप रिकार्डर मय मेमोरी कार्ड श्री सुरेशचन्द पुलिस निरीक्षक को सुपुर्द कर आरोपी मघराज ईओ के विरूद्व अग्रिम ट्रेप कार्यवाही करने की मुनासिब हिदायत दी गई।

तत्पश्चात दिनांक 24.03.2022 को अग्रिम ट्रेप कार्यवाही हेतु श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस एवं श्री सुरेशचन्द पुलिस निरीक्षक द्वारा अपनी–अपनी टीमों सहित परिवादी से सम्पर्क करते हुये कस्बा लाडनू के पास गांव बाकलिया स्थित उसकी सीसी ब्लॉक की कम्पनी पर पहूँचे, जहाँ परिवादी श्री बुद्वाराम एवं परिवादी का पुत्र श्री प्रेमाराम उपस्थित मिले। परिवादीगण बुद्वाराम एवं श्री प्रेमाराम ने बताया कि हम दोनो ने पूर्व में कई बार श्री मघराज डूडी ईओ एवं श्री नन्दकिशोर को रिश्वत दे चुके है। परिवादी श्री बुद्वाराम ने बताया कि ईओ नगरपालिका लाडनू में रिश्वत नहीं लेगा वह अपने सरकारी आवास पर ही रिश्वत लेगा। परिवादी बुद्वाराम ने ईओ श्री मघराज को उसके घर पर स्वयं द्वारा रिश्वती राशि देने की कही तथा आरोपी श्री नन्दकिशोर कनिष्ठ सहायक को अपने पुत्र श्री प्रेमाराम से नगरपालिका लाडनू में रिश्वती राशि दिलवाने की कही। उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी श्री बुद्वाराम को श्री सुरेशचन्द पुलिस निरीक्षक से मिलवाकर कस्बा लाडनू में आरोपी ईओ श्री मघराज के घर पर अग्रिम कार्यवाही करने की मुनासिब हिदायत दी जाकर उप अधीक्षक पुलिस ने परिवादी प्रेमाराम को साथ लेकर आरोपी श्री नन्दकिशोर के विरूद्व अग्रिम ट्रेप कार्यवाही शुरू की गई।

मजिद दरियाफ्त पर परिवादीगण ने बताया कि लाडनू कोर्ट के पास खेल मैदान की बाउन्ड्रीवाल तथा लाडनू में पुराना वार्ड नं. 03 में सुनारी रोड़ से श्री इस्लाम के घर पर डामर सड़क कुटाई का कार्य हमारे द्वारा किया गया था। उक्त दोनों कार्य बिना कार्यआदेश के किये गये थे, जिनके भुगतान पारित करवाने के बदले ईओ मघराज डूडी एवं

श्री नन्दकिशोर कनिष्ठ सहायक ने अलग–अलग एक–एक लाख रूपये रिश्वत की मांग किया जाना बताया। परिवादीगण द्वारा रूपयों की व्यवस्था नहीं होने के कारण आरोपीगण श्री मघराज डूडी ईओ एवं श्री नन्दकिशोर को क्रमशः 40,000–40,000 रूपये बतौर रिश्वत के देने की कही। उस दिन हस्ब श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस एवं श्री सुरेशचन्द पुलिस निरीक्षक के समक्ष परिवादीगण द्वारा अलग–अलग रिश्वती राशि क्रमशः 40–40 हजार रूपये पेश करने पर नोटों पर फिनोफ्थलीन पाउडर लगवाकर अलग–अलग टीमों द्वारा हस्ब कायदा ट्रेप कार्यवाही का आयोजन किया जाकर श्री जाकिर अख्तर उप अधीक्षक पुलिस द्वारा परिवादी बुद्धाराम द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 09.02.2022 को आरोपी श्री नन्दकिशोर कनिष्ठ सहायक नगरपालिका लाडनू जिला नागौर से नगरपालिका लाडनू पर हुई बातचीत को कार्यालय के दूसरे डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया, जिसको परिवादी एवं गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के लैपटाप में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से सीडी तैयार कर अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''ए'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी बुधाराम ने स्वंय की व आरोपी श्री नन्दकिशोर कनिष्ठ सहायक नगरपालिका लाडनू जिला नागौर की आवाजों की पहचान की।

श्री सुरेशचन्द पुलिस निरीक्षक द्वारा परिवादी बुद्धाराम द्वारा दौराने रिश्वत मांग सत्यापन दिनांक 09.02.2022 को आरोपी श्री मघराज डूडी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका लाडनू जिला नागौर से उसके निवास स्थान पर हुई बातचीत को डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्ड किया गया। जिसको परिवादी एवं गवाहान के समक्ष डिजिटल टेप रिकार्डर को कार्यालय के लैपटाप में लगाकर रिकार्डिंग वार्ता का रूपान्तरण किया गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड से सीडी तैयार कर अन्वेषण हेतु खुली रखी गई तथा डिजिटल टेप रिकार्डर से मेमोरी कार्ड को निकालकर उसे सफेद कपड़े की थैली में सील्ड कर उस पर संबंधितो के हस्ताक्षर करवाकर मार्क ''ए'' अंकित कर सील्ड पैकेट को बतौर वजह सबूत कब्जा एसीबी रखा गया। डिजिटल टेप रिकार्डर के मेमोरी कार्ड में रिकार्डेड वार्तालाप में परिवादी बुधाराम ने स्वंय की व आरोपी श्री मघराज डूडी अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका लाडनू जिला नागौर की आवाजों की पहचान की।

दिनांक 24.03.2022 को आरोपी श्री मघराज ईओ के अवकाश पर चले जाने के कारण अग्रिम ट्रेप कार्यवाही सम्भव नहीं हो पाई। तत्पश्चात दिनांक 28.03.2022 को दोनों अधिकारीगण द्वारा अलग–अलग टीमों सहित कस्बा लाडनू के पास गांव बाकलिया स्थित उसकी सीसी ब्लॉक की कम्पनी पर पहूँच हस्ब कायदा ट्रेप का आयोजन किया गया परन्तु उस दिन श्री मघराज डूडी ईओ के वीसी होने के कारण अग्रिम कार्यवाही नहीं हो पाई। तत्पश्चात दिनांक 29.03.2022 को दोनों अधिकारीगण द्वारा अलग–अलग टीमों सहित कस्बा लाडनू के पास गांव बाकलिया स्थित उसकी सीसी ब्लॉक की कम्पनी पर पहूँच हस्ब कायदा ट्रेप का आयोजन किया गया, परन्तु श्री नन्दकिशोर के उसके गांव चले जाने के कारण अग्रिम कार्यवाही नहीं हो पाई।

तत्पश्चात दिनांक 29.09.2022 को परिवादीगण बुद्धाराम एवं श्री प्रेमाराम उपस्थित कार्यालय आये। परिवादीगण ने ईओ श्री मघराज डूडी का एसीबी द्वारा ट्रेप किये जाने तथा श्री नन्दकिशोर द्वारा भुगतान दिलाने हेतु मना करने की कही, जिस पर परिवादीगण के चाहेनुसार उसके द्वारा प्रस्तुत की गई अलग–अलग पेश की गई राशि कुल 80,000 रूपये के नोटों को फिनोफ्थलीन पाउडर मुक्त कर परिवादीगण को सुपुर्द किये गये। ऐसी स्थिति में आरोपीगण के विरूद्ध ट्रेप कार्यवाही नहीं हो पाई।

परिवादी श्री बुद्धाराम द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री मघराज तत्कालीन ईओ नगरपालिका लाडनू से हुई वार्ता को टेप किया गया। उक्त **रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी ईओ द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी श्री बुद्धाराम से उनके बिना कार्यआदेश किये गये कार्यो का भुगतान पारित करवाने के एवज में पूर्व में पचास हजार रूपये दिये गये की कहते हुये परिवादी बुद्धाराम के कथन कि '' और थानै में लाख रूपया को कहयेडो हो, मै लाख थानै लाख रूपया दे देस्यू'' जिस पर आरोपी ईओ के कथन कि '' तो थ्थारों ओ काम होने के बाद में दे दिये, कोई दिक्कत कोनी'' जिस पर**

परिवादी के कथन कि " हॉ काल ल्यादू, कता एक लाख रूपया, एक लाख रूपया में काल ल्यादू हूँ" इस पर आरोपी ईओ के कथन कि " हो ज्यासी, मै आज ही करवा दूं" आदि कथनो से आरोपी मघराज ईओ द्वारा परिवादी श्री बुद्वाराम से रिश्वत मांग की पृष्टि होती है।

परिवादी श्री बुद्वाराम द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी श्री नन्दकिशोर कनिष्ठ सहायक नगरपालिका लाडनू से हुई वार्ता को टेप किया गया। उक्त **रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान आरोपी** कनिष्ठ सहायक **द्वारा रिश्वत मांग सत्यापन के दौरान परिवादी पेमाराम के पिता श्री बुद्वाराम से उनके बिना कार्यआदेंश किये गये कार्यो का भुगतान पारित करवाने के एवज में पूर्व में चालीस–पन्तालीस हजार रूपये दिये गये की कहते हुये और कितने रूपये देने की कही जिस पर आरोपी नन्दकिशोर कनिष्ठ सहायक ने पूर्व में 40–45 हजार रूपये आने की हॉ की। इसी वार्ता के कम में परिवादी पेमाराम के पिता श्री बुद्वाराम के कथन कि " थे मनै या कही थे करदो, थानै एक लाख और देदूं, बारह परसेन्ट सूं रूपया एक लाख बीस हजार बणै" आदि कथनो से आरोपी नन्दकिशोर कनिष्ठ सहायक द्वारा परिवादी पेमाराम के पिता श्री बुद्वाराम से रिश्वत मांग की पृष्टि होती है।**

उपरोक्त कार्यवाही के आधार पर आरोपीगण श्री मघराज तत्कालीन ईओ एवं श्री नन्दकिशोर कनिष्ठ सहायक नगरपालिका लाडनू जिला नागौर द्वारा अपने–अपने पदों का दुरूपयोग करते हुये परिवादी श्री बुद्वाराम द्वारा बिना कार्यआदेश पूर्व ईओ एवं पालिकाध्यक के जुबानी आदेश से कस्बा लाडनू में कोर्ट के पास खेल मैदान की बाउन्ड्रीवाल तथा लाडनू में पुराना वार्ड नं. 03 में सुनारी रोड़ से श्री इस्लाम के घर पर डामर सड़क कुटाई का कार्य करने से संबंधित भुगतान करवाने के बदले पूर्व में परिवादी श्री बुद्वाराम से प्रत्येक ने अलग–अलग एक–एक लाख रूपये बतौर रिश्वत की मांग की गई। आरोपीगण श्री मघराज तत्कालीन ईओ एवं श्री नन्दकिशोर कनिष्ठ सहायक नगरपालिका लाडनू जिला नागौर का उक्त कृत्य अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 के तहत दण्डनीय अपराध है।

अतः आरोपीगण श्री मघराज डूडी पुत्र श्री नराणाराम, निवासी वार्ड नं. 01, गांव शीतसर पुलिस थाना रतनगढ जिला चूरू तत्कालीन अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका लाडनू जिला नागौर एवं श्री नन्दकिशोर पुत्र श्री बलदेवराम निवासी ग्राम नन्दवाण पोस्ट केराप वाया कोलिया तहसील लाडनू जिला नागौर हाल कनिष्ठ सहायक नगरपालिका लाडनू जिला नागौर के विरूद्व अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण (संशोधित) अधिनियम 2018 में बिना नम्बरी एफआईआर चाक की जाकर कमांकन हेतु सीपीएस एसीबी जयपुर को प्रेषित है।

(राजेश जांगिड)
उप अधीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,सीकर

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री राजेश जांगिड़, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से अपराध अन्तर्गत धारा 7 भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपी 1. श्री मघराज डूडी, अधिशाषी अधिकारी नगरपालिका लाडनू, जिला नागौर एवं 2. श्री नन्दकिशोर, कनिष्ठ सहायक, नगरपालिका लाडनू, जिला नागौर के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 439/2022 उपरोक्त धारा में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

14/11/22

(कालूराम रावत)
उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।

क्रमांक 3807-11 दिनांक 14.11.2022

प्रतिलिपिः-सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, जोधपुर।
2. निदेशक, स्वायत्त शासन विभाग, जयपुर।
3. अध्यक्ष, नगरपालिका मण्डल, लाडनू, जिला नागौर।
4. पुलिस अधीक्षक-प्रथम, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।
5. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, सीकर।

14/11/22

उप महानिरीक्षक पुलिस,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर।